प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांकः 29 जनवरी, 2024**

विषयः- **मैसर्स शास्वत पावरटेक, जी-2ए, सेक्टर-15, गीडा, गोरखपुर के फ्लोर मिल इकाई की स्थापना हेतु उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 योजनान्तर्गत ब्याज उपादान की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि रू0-110.12 लाख (रूपया एक करोड़ दस लाख बारह हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-खा0प्र0मि0-1882/2023-24/539, दिनांक-20.12.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2 उल्लेखनीय है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-10 लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418 उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 हेतु शासनादेश संख्या-36/2023/406/58-2-2023-1712168, दिनांक 08.06.2023 द्वारा धनराशि रू0 4000.00 लाख अवमुक्त की गयी है, जिसमें 27-सब्सिडी मद में रू0 3866.00 लाख, शासनादेश संख्या-135/2023/1070/58-2-2023-300(09)/2023, दिनांकः 13.12.2023 द्वारा सब्सिडी मद में रू0-56.00 लाख तथा शासनादेश संख्या-01/2024/1071/58-2-2023-1769214, दिनांकः 08.01.2024 द्वारा अनुपूरक मांग के माध्यम से सब्सिडी मद में रू0-5402.00 लाख की धनराशि आपके निवर्तन पर रखी गयी है।

3. शासनादेश संख्या-1255/58-2-2017-600(7)/2017टी0सी0, दिनांक-24.11.2017 द्वारा कृषि उत्पादन आयुक्त, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में गठित स्टेट लेबल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांकः 24.12.2021 में **मैसर्स शास्वत पावरटेक, जी-2ए, सेक्टर-15, गीडा, गोरखपुर के फ्लोर मिल इकाई की स्थापना हेतु** उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के अन्तर्गत **पूँजीगत अनुदान** स्वीकृत किये जाने की संस्तुति/अनुमोदन के क्रम में शासनादेश संख्या-55/2022/106/58-2-2022-600(14)/2022, दिनांक-23.03.2022 द्वारा पूँजीगत अनुदान की धनराशि रू0-50.00 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है। निदेशक द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं अभिलेखानुसार **मैसर्स शास्वत पावरटेक, जी-2ए, सेक्टर-15, गीडा, गोरखपुर के फ्लोर मिल इकाई की स्थापना हेतु वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु ब्याज उपादान की प्रथम किश्त धनराशि रू0-30.23 लाख, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु ब्याज उपादान की द्वितीय इकिश्त धनराशि रू0-49.91 लाख एवं वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु ब्याज उपादान की तृतीय किश्त धनराशि रू0-29.97 लाख कुल धनराशि रू0-110.12 लाख (रूपया एक करोड़ दस लाख बारह हजार मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

(1) उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के प्रावधानों एवं तत्संबंध में निर्गत सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा अनुपालन की स्थिति से शासन को अवगत कराया जायेगा।

(2) शासनादेश संख्या-36/2017/1343/58-2-2017-600(7)/2017, दिनांक-21.12.2017 एवं शासनादेश संख्या-15/2019/205/58-2-2019-600(7)/2017, दिनांक-22.02.2019 में उल्लिखित शर्तों एवं नियमों का कड़ाई से अनुपालन कराया जाय।

(3) उक्त ब्याज उपादान की प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त की धनराशि संस्था के टर्मलोन खातें में निर्गत किया जाना सुनिश्चित करेंगे।

.....2/-

http://sirsaradesh.up.gov.in

(4) अनुदान हेतु स्वीकृत धनराशि जारी करने से पूर्व उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 के दिशा-निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/प्राधिकृत संस्था द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा तथा किसी भी प्रकार के अनियमितता के लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन उत्तरदायी होंगे।

(5) संस्था द्वारा संचालित इकाई का स्थलीय निरीक्षण एवं प्रगति का निरीक्षण निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण द्वारा किया जायेगा तथा उसकी आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

(6) उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक-31.03.2024 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

(7) स्वीकृत धनराशि को भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा राज्य सरकार के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

(9) उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक, मिशन तथा वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(10) राज्य सरकार द्वारा दिये गये दिशा-निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता/शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

(11) यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-02/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक: 17.03.2023 में प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)
अपर मुख्य सचिव।

संख्या-4/2023/1124(1)/58-2-2024, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

(1) कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, प्रयागराज।
(2) जिलाधिकारी, **गोरखपुर** को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।
(3) वित्त नियंत्रक, निदेशालय उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(7) नियोजन अनुभाग-4 उ0प्र0 शासन।
(8) संबंधित संस्था।
(9) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(शिवराज कुमार यादव)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in